

सीटू की जनरल काउंसिल द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव

सीटू की जनरल काउंसिल की हिन्द मोटर्स में 21 से 23 जनवरी 1983 को सम्पन्न बैठक में कई प्रस्ताव अपनाए गए थे। कुछ प्रस्ताव हमने इस पत्रिका के पिछले अंक में प्रकाशित किए थे। अब कुछ और प्रस्ताव इस अंक में प्रकाशित किए जा रहे हैं :

बिहार प्रेस विधेयक पर

सीटू की जनरल काउंसिल की हिन्द मोटर्स में 21 से 23 जनवरी 1983 को सम्पन्न यह बैठक प्रेस का गला घोटने, पत्रकारों को भ्रष्टाचार करने और समाचार पत्रों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के बुनियादी अधिकारों को दबाने के लिए वदनाम प्रेस विधेयक पारित करने के लिए बिहार सरकार की निन्दा करती है।

आधिक संकट के समाधान में असफलता, कांग्रेस (आई) शासकों का जनता से बढ़ते अलगाव, गरी के टुकड़ों के लिए इसके कार्यकर्ताओं में रोज रोज के झगड़ों व ऊँचे पदाधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार का परिणाम समाजविरोधी तत्वों पर ज्यादा निर्भरता तथा समूचे विपक्ष का बर्बर दमन हुआ है। बिहार में शोषक वर्ग व पुलिस द्वारा बर्बर अत्याचार माफिया-गिरोहों को संरक्षण तथा भ्रष्टाचार कलंकित स्तर तक पहुंच गए हैं और पत्रकार खोजपूर्ण अध्ययन द्वारा इन्हें प्रकाश में ला रहे थे। बिहार में कांग्रेस (आई) सरकार ने काले कारनामों की बेनकाबी को रोकने के लिए सबसे अधिक अधिनायकवादी कदमों में से एक के रूप में इस बर्बर कानून को लागू किया है। यह विधेयक सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली, पिटू न्याय-पालिका, आदि की बार बार चर्चा की पृष्ठभूमि में एक अनिष्ट-सूचक बात है।

बिहार में इसके खिलाफ पत्रकारों व गैर-पत्रकार कर्मचारियों का प्रतिरोध ठीक ही फट पड़ा था। बढ़ते संघर्ष के ज्वार को रोकने के लिए वदनाम जगन्नाथ मिश्रा सरकार ने संपादकों, पत्रकारों और जनवादी जनता पर जिसने संघर्ष का समर्थन किया, बर्बर दमन ढाना शुरू कर दिया। ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक पार्टियों व जनवादी जनता ने प्रतिरोध कार्यवाही की जिसकी ताकत बढ़ती गयी तथा इसने उन सभी तत्वों को जो जनवाद का, जिसके महत्वपूर्ण अंगों में एक है प्रेस की स्वतन्त्रता, नायकत्व करते हैं आक्रुष्ट किया।

यह बैठक प्रधानमंत्री के उस बयान की निन्दा करती है जिसमें समाचार पत्र कर्मचारियों के संघर्ष को भोगस बताया गया है और इस प्रकार इस कदम को प्रधानमंत्री ने खुला समर्थन दिया है। आंदोलन के दबाव में सरकार को बिहार

के मुख्यमंत्री को कुछ परिवर्तन करने की सलाह देनी पड़ी, लेकिन पत्रकारों ने इसकी संपूर्ण वापसी की मांग करते हुए अपने आंदोलन को जारी रखा।

यह बैठक समाचार पत्रों के अर्मचारियों को 3 सितंबर 1982 की उनकी गौरवमयी हड़ताल के लिए बधाई देती है और उनसे अपील करती है कि वे अपने संघर्ष को तब तक जारी रखें जब तक विधेयक वापस नहीं ले लिया जाता। यह बैठक बिहार के समाचार पत्रों के कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों व जनता को 10 सितंबर 1982 को बिहार बंद तथा उससे पहले पटना बंद सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए बधाई देती है। यह बैठक संघर्ष को पूरा समर्थन देती है और मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह पत्रकारों के साथ मिलकर व उनके साथ एकजुटता के साथ तब तक संघर्ष को आगे बढ़ायें जब तक विधेयक वापस नहीं लिया जाता।

यह बैठक तमिलनाडु सरकार की एक प्रेस कानून लागू करने तथा उड़ीसा सरकार की इसी ही तरह का एक नया प्रेस विधेयक लाने के लिए भी निन्दा करती है और इन दोनों सरकारों से मांग करती है कि इस कानून व विधेयक को वापस लिया जाए। □

न्यूनतम वेतन के लिए संघर्ष पर

सीटू की जनरल काउंसिल की हिन्द मोटर्स में 21 से 23 जनवरी 1983 को सम्पन्न यह बैठक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्य कमेटियों को न्यूनतम वेतन कानून के तहत 500 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग करते हुए 5 जनवरी 1983 को न्यूनतम वेतन दिवस सफलतापूर्वक मनाने के लिए बधाई देती है।

विभिन्न राज्यों में मजदूरों को दिए जाने वाले कम वेतन की चिन्ताजनक वास्तविकताओं पर यह बैठक गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और यह उचित स्तर पर मजदूरों के न्यूनतम वेतन निर्धारित करने से इंकार करने के लिए सरकार की निन्दा करती है। जहां सरकार 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार जल्दतर पर आधारित न्यूनतम वेतन देने से इंकार करती है, वहां इसने राज्यों में न्यूनतम वेतन निर्धारण का एकसमान सिद्धान्त भी विकसित नहीं किया है। राज्यों में अब मौजूदा न्यूनतम वेतनों में पूरी अराजकता है। पिछले साल न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में सीटू के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए मुद्दाओं को स्वीकारा नहीं गया। कई राज्य न्यूनतम वेतन कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। ठेका मजदूरों को असल में बंधुषा मजदूरों की तरह ही रखा जा रहा है और

उन्हें ठेकेदारों के मुस्टों द्वारा डराया-धमकाया जाता है, कई राज्यों में न्यूनतम वेतन अपराधियों पर होने वाले खर्च से भी काफी कम हैं, खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन से वंचित रखा जा रहा है और हालांकि न्यूनतम वेतन कानून के तहत रोजगार की अनुमति में कृषि भी शामिल है फिर भी कांग्रेस(आई) सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।

यह बैठक दिल्ली में 7 नवम्बर को सीढ़ द्वारा आयोजित न्यूनतम वेतन सम्मेलन द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव का समर्थन करती है जिसमें ये मांगें उठायी गयी हैं :

1. न्यूनतम वेतन 500 रुपये मासिक तय किया जाए तथा परिवर्तनशील महंगाई-भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (आधार 1960 = 100) 300 प्वाइंट से ज्यादा वृद्धि पर रु. 1.70 प्रति प्वाइंट की दर से अदा किया जाए, इससे कम वेतनों को इस न्यूनतम स्तर तक लाया जाए,
2. सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन कानून के तहत लाया जाए और सामूहिक सोदेबाजी द्वारा इस कानून के तहत निर्धारित वेतन से ज्यादा वेतन पाने के अधिकार की गारंटी दी जाए,
3. न्यूनतम वेतन कानून में इसके उल्लंघन के लिए सख्त सजा देने के प्रावधान के लिए संशोधन किया जाए और उल्लंघन को रिपोर्ट मिलने पर एक महीने के अन्दर ऐसे सभी मामलों पर फैसला किया जाए,

यह बैठक राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे उपरोक्त मांगों पर देशव्यापी आन्दोलन को तेज करें, अन्य ट्रेड यूनियन केन्द्रों से सम्पर्क करें और एक शक्तिशाली आन्दोलन में खेत-मजदूरों सहित मजदूरों के सभी हिस्सों को लामबन्द करें ताकि मांगों को स्वीकार करने के लिए सरकार को मजबूर किया जा सके। □

विकसित पूंजीवादी देशों में मजदूर वर्ग के संघर्ष पर

सीढ़ की जनरल काउंसिल की हिंद मोटर्स में 21 से 23 जनवरी 1983 को संघटन यह बैठक विकसित पूंजीवादी देशों के मजदूर वर्ग को गर्मजोशी के साथ विरोधराना शुभकामनाएं देती है जो मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा में कटौती व फौजी बजट में वृद्धि के खिलाफ और वेतन वृद्धि के लिए तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

दमन का सामना करते हुए इन देशों के अधिकृत मजदूर

मालिकान व इशारेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ जुभाक व एकजुट संघर्ष कर रहे हैं। सितंबर में सार्वजनिक स्वास्थ्य मजदूरों की हड़ताल तथा खदान मजदूरों, इस्पात मजदूरों, सिविल सर्वेंट्स, आटोमोबाइल मजदूरों, शिक्षकों व अन्यो की एकजुटता हड़तालों और रेलवे मजदूरों व समाचार पत्र कर्मचारियों की देशव्यापी हड़तालों के बाद दिसंबर में विद्युत मजदूरों की हड़ताल ने ब्रिटिश सरकार को झुकझोर दिया। ब्रिटेन के मजदूर वर्ग व यंत्र सरकार के बीच अंतर्विरोध सरकार द्वारा मजदूरों की जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए निजी पूंजी को लाभ पहुंचाने वाली जानबूझकर अपनायी गयी नीतियों के कारण और भी बढ़ गया है। इसी तरह की इटली में 90 लाख जनरल मजदूरों की हड़तालों, इस्पात में 4 लाख सार्वजनिक कर्मचारियों की हड़ताल, वेतनजाम के खिलाफ फ्रांसीसी मजदूरों के संघर्ष, पश्चिम बर्लिन के रेल मजदूरों के संघर्ष, रोजगार के लिए आस्ट्रेलिया व पश्चिम जर्मनी के मजदूरों के संघर्ष तथा अमरीका व जापान में संघर्षों के ज्वार ने समूचे पूंजीवादी विश्व को हिला दिया है और मजदूर वर्ग व उनकी अपनी अपनी सरकारों के बीच अंतर्विरोध को तेज कर दिया है।

आर्थिक संकट के परिणाम इस तथ्य से आसानी से लगाये जा सकते हैं कि स्वयं ओ ई सी डी मुद्रास्फीति को "पहले नम्बर का शत्रु" मानने के लिए मजबूर हुआ है। इसके 24 सदस्य देशों में कुल बेरोजगारी 2 करोड़ 85 लाख तक पहुंच गयी है। ई ई सी देशों में यह 1 करोड़ 8 लाख है जो समूची मेहनतकश शक्ति का दस प्रतिशत है, अकेले अमरीका में बेरोजगारी 1 करोड़ 20 लाख हो गयी है, अमरीका में 1981 के मध्य में 7.2 प्रतिशत से बढ़कर 1982 में बेरोजगारी 10.8 प्रतिशत हो गयी है, अमरीका में 3 करोड़ 20 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए हैं। पिछले एक साल में परिवारों की आय 30 प्रतिशत से भी ज्यादा कम हो गयी है, 50 प्रतिशत निजी कंपनियों दिवालिया हो गयी हैं। ब्रिटेन में बेरोजगारों की प्रतिशत 14 प्रतिशत हो गयी है, इसी प्रकार पश्चिम जर्मनी में यह 10 प्रतिशत, फ्रांस में 10 प्रतिशत, बेल्जियम में 13 प्रतिशत, स्पेन में 14 प्रतिशत, टर्की में 15 प्रतिशत, नैदरलैंड्स में 12.6 प्रतिशत, कनाडा में 8 प्रतिशत और आस्ट्रेलिया में 8 प्रतिशत है। विकसित पूंजीवादी देशों में कुल बेरोजगारी 3 करोड़ हो गयी है।

मजदूरों की जायज मांगों को मानने से इन्कार करके अमरीकी दबाव में ये सरकारें फौजी तैयारियों पर बेतहाशा धन खर्च कर रही है तथा विश्व को नाभिकीय युद्ध के कगार पर ला रही हैं और इस प्रकार मजदूर वर्ग के साथ वे अपने अंतर्विरोध को और भी तेज कर रही हैं, अपनी आर्थिक

(शेष पृष्ठ सतरह पर)

सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी को बैठक

एक साल से भी ज्यादा समय के बाद, बंधुआ, प्रवासी व आकस्मिक श्रम पर सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी की दूसरी बैठक 1 फरवरी को नई दिल्ली में सम्पन्न हुयी। जगजीत सिंह लासलपुरी ने बैठक में सौद्ध का प्रतिनिधित्व किया। कमेटी की पिछली बैठक की सभी सिफारिशों को सरकार ने गैर जरूरी कह कर नामंजूर कर दिया था। श्रम कानूनों को लागू करने और मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसी कमेटियों में ट्रेड यूनियनों के साथ सलाह आदि को सरकार गम्भीरता के साथ नहीं लेती है जैसा कि इस बैठक को ही काफी लंबे अरसे के बाद बुलाए जाने से जाहिर है।

पिछली बैठक में सौद्ध ने अनुचित व्यवहार पर प्रकाश डाला था जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को आकस्मिक मजदूर करार दिया जाता है हालांकि वे लगातार व स्थायी प्रकृति के कार्यों को करते हैं। यह भी बताया गया था कि बंधुआ मजदूरों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। इसलिए बंधुआ, आकस्मिक व प्रवासी मजदूरों पर अलग उप-समितियां बनाने का सुझाव दिया गया था ताकि विस्तार से मुद्दे पर अध्ययन किया जा सके। इस सुझाव को सरकार ने रद्द कर दिया। रेलवे व पी डब्ल्यू डी सहित विभिन्न सरकारी विभागों व प्रतिष्ठानों में स्थायी मजदूरों के साथ वरसों तक आकस्मिक मजदूर की तरह व्यवहार किया जाता है और स्थायी प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा काम ठेकेदारों को दिया जा रहा है। यहाँ तक कि माडल स्टैंडिंग आर्डर्स को भी लागू नहीं किया जाता और श्रम विभाग ने इस विषय में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। इस बैठक में श्रम-विभाग की कड़ी निन्दा की गयी जिसके बाद सरकार ने फिर से आकस्मिक, बंधुआ व प्रवासी मजदूरों पर अलग-अलग उप-समितियां बनाना स्वीकार किया।

बैठक में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश की गयी व योजना आयोग से अनुरोध किया गया कि राज्यों को यह अधिकार दिया जाए। यह भी बताया गया कि केवल कृषि क्षेत्र में ही भारी संख्या में श्रम मजदूरों को रखा जाता है। इनके लिए भी न्यूनतम वेतन की गारंटी की मांग की गयी।

यह बताए जाने पर कि विभिन्न राज्य सरकारों ने 1.25 लाख से भी ज्यादा बंधुआ मजदूरों की पहचान करके उनके

पुनर्वास की योजना बनायी है तो ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की क्योंकि कानून की दृष्टि से यह अपराध था। मन्त्री ने इस विषय में छानबीन का आश्वासन दिया। □

सीमेंट मजदूर आन्दोलन करेंगे

सीमेंट उद्योग में संघर्ष कार्यवाही तय करने के लिए नयी दिल्ली में 15 जनवरी को सम्पन्न इस उद्योग के मजदूरों की बैठक ने तमिलनाडु व राजस्थान में विद्युत कटौती के नाम पर भारी पैमाने पर किए गए लेव्हाफ को गम्भीरता से नोट किया। कर्नाटक के सीमेंट मजदूरों को भी यही आदेश है। इसने विद्युत सप्लाई के लिए, लेव्हाफ बन्द करने तथा इसके लिए पूरा वेतन देने की मांग के समर्थन में प्रचार अभियान शुरू करने का फैसला लिया।

बैठक ने रामानुजम-नेवातिया की मध्यस्थता के और इंटक-सी.एम.ए. की साजिश के खिलाफ अभियान जारी रखने का फैसला किया। बैठक ने डाला (उ.प्र.) के मजदूरों की एकजुट हड़ताल का समर्थन किया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने की निन्दा की। संसद के सत्र एक प्रदर्शन करने का भी फैसला लिया गया। अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ सलाह करने के बाद इसकी तिथि बाद में तय होगी। सौद्ध को और से टी.के. रंगारजन व पी.सी. पांडे ने बैठक में भाग लिया। □

प्रस्ताव

(पृष्ठ आठ से आगे)

मांगों को अस्त्र दौड़ को रोकने की मांग के साथ जोड़ते हुए इन देशों में मजदूर वर्ग विशाल शांति-मार्च आयोजित कर रहा है और शांति के लिए संघर्षों के प्रति जनता के विभिन्न हिस्सों को आकृष्ट कर रहा है।

इन पूँजीवादी शासकों की मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों व उनकी बुद्धिमानी नीतियों की निन्दा करते हुए, यह बैठक इन देशों के मजदूर वर्ग के संघर्षों की प्रशंसा करती है और उनके साथ एकजुटता व्यक्त करती है। □